ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 247-249
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

राष्ट्रीय एकता के लिए अनिवार्य है प्राथमिक कक्षाओं में हिंदी की शिक्षा

प्रो0 प्रदीप के0 शर्मा
प्रोफेसर, हिंदी विभाग, सिक्किम केंद्रीय विश्वविद्यालय गंगटोक, (सिक्किम), भारत

Received-15.06.2023, Revised-21.06.2023, Accepted-25.06.2023 E-mail: aaryvart2013@gmail.com

सारांशः ***मानव के सर्वांगीण विकास का मूल तत्व है शिक्षा शिक्षा के बिना मनुष्य का मानसिक विकास हो पाना असंभव सा जान पड़ता है। आज मनुष्य के जीवन में शिक्षा का महत्व इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हर कोई एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। भारत एक बहुभाषा–भाषी देश है। यह भाषाई विविधता इस देश की एक ऐसी विशेषता है जो हमारी अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है। इसका संरक्षण करते हुए भी एक सुसंगठित राष्ट्र के रूप में हमारी एकता का सूत्र केवल हिंदी भाषा ही हो सकती है, इस बात को स्वतंत्रता के पूर्व ही हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के समस्त नायकों ने एक मत से स्वीकार किया था। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी समेत तमाम स्वतंत्रता सेनानियों, विद्वानों व विचारकों ने, चाहे वे किसी भी प्रांत के क्यों न हों, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की एक स्वर से चकालत की थी तथा स्वतंत्रता के पूर्व ही देश के अहिंदी भाषी प्रांतों में भी हिंदी शिक्षण–प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान पूरे जोश–खरोश के साथ आरंभ हो गया था।***

देशवासियों को यह आशा थी कि भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद अनिवार्य रूप से समस्त भारतवर्ष के सभी विद्यालयों में हिंदी भाषा का पठन–पाठन प्राथमिक कक्षाओं के स्तर पर आरंभ हो जाएगा। परंतु दुर्भाग्यवश अंग्रेजीदां नौकरशाही और संकीर्ण क्षेत्रीयतावादी राजनीतिज्ञों ने दुरभिसंधि करके हिंदी के इस नैसर्गिक अधिकार को छीन लिया तथा हिंदी को आज भी भारत में उचित स्थान नहीं मिल पाया है और इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव हमारी राष्ट्रीय एकता पर पड़ा है। जिस राष्ट्र का समग्र मौलिक चिंतन उस राष्ट्र की भाषा में न हो, उसकी प्रगति की रफ्तार अपने–आप मंद पड़ने लगती है। भारत भी इसी त्रासदी को झेल रहा है जहाँ भारतीय लोग ही हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की बलि देकर अंग्रेजी भाषा के विकास व उन्नयन में लगे हुए हैं।

कुंजीभूत शब्द– सर्वांगीण विकास, मानसिक विकास, प्रतिस्पर्धा, सांस्कृतिक धरोहर, संरक्षण, सुसंगठित राष्ट्र, स्वतंत्रता आंदोलन।

भारत में स्वतंत्रता के बाद शिक्षा को राज्य सरकारों की निगरानी में सौंप दिया गया जिसके परिणामस्वरूप एक केंद्रीय सोच का स्पष्ट अभाव प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर ही परिलक्षित होने लगा। निजी व सरकारी शिक्षण व्यवस्था में किसी प्रकार का तालमेल न होने के कारण निहित स्वार्थवश शिक्षा के क्षेत्र में तरह–तरह के प्रयोगों की बाढ़ सी आ गई और इससे हमारी राष्ट्रीय एकता का सूत्र (हिंदी भाषा) कमजोर पड़ गया। शिक्षा जगत का यह सर्वमान्य सिद्धांत रहा है कि प्राथमिक शिक्षा बालक को उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। इसी के साथ राष्ट्रीय एकता के लिए प्राथमिक स्तर से राष्ट्रभाषा की शिक्षा भी प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य होनी चाहिए परंतु भारत के कुछ प्रदेशों में राजनीतिक कारणों से हिंदी भाषा के पठन–पाठन का विरोध किया गया तथा इसके स्थान पर अंग्रेजी भाषा को विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया गया जिसके दुष्परिणाम हम आज भी हिंदी विरोधी आंदोलनों के रूप में झेल रहे हैं।

किसी भाषा को सीखने के 9 आधारभूत कौशल होते हैं सुनना, बोलना, – पढ़ना, लिखना, विचारों को समझना, व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना, स्वयं सीखकर भाषा में विचार अभिव्यक्त करना, भाषा में संवाद करने की क्षमता विकसित करना तथा शब्दकोश के प्रयोग के द्वारा भाषा को समृद्ध बनाना। ये आधारभूत कौशल हर भारतीय में, चाहे उसकी मातृभाषा कुछ भी हो, हिंदी भाषा के लिए विकसित हो सके इसके लिए प्राथमिक कक्षाओं से ही हिंदी के पठन–पाठन की अनिवार्यता आवश्यक है। वर्तमान शिक्षण व्यवस्था में प्राथमिक कक्षाओं में हिंदी भाषा पढ़ाने या न पढ़ाने का निर्णय राज्य सरकारों को सौंपा हुआ है और निजी शिक्षण संस्थानों को अपने स्तर पर निर्णय की छूट भी प्राप्त है कि वे चाहें तो हिंदी भाषा का प्राथमिक कक्षाओं में पठन–पाठन करवाएं और चाहे तो न करवाएं। परिणामस्वरूप प्राथमिक कक्षाओं से उत्तीर्ण विद्यार्थी जब माध्यमिक शिक्षा की कक्षाओं में पहुँचते हैं तो उनके हिंदी भाषा ज्ञान में काफी अंतर मिलता है, जो उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है तथा एक व्यस्क नागरिक बनने तक हर भारतीय हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता है और उनके चिंतन में भी राष्ट्रीय स्वाभिमान व गौरव की कमी पाई जाती है। निस्संदेह किसी भी प्रभुतासंपन्न राष्ट्र में राष्ट्रभाषा की यह उपेक्षा वांछनीय नहीं हो सकती है। अतः प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में हिंदी की अनिवार्यता के बारे में अविलंब निर्णय होना चाहिए और इसके लिए देश के वर्तमान संविधान में संशोधन आवश्यक हो तो वह भी तत्काल किया जाना बहुत जरूरी है।

यह हम भली भांती जानते हैं कि भाषा ज्ञान प्राप्त करने की सही उम्र प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों की ही होती है। मातृभाषा के साथ–साथ इसी उम्र में भारत में विद्यार्थियों को एक विदेशी भाषा (अंग्रेजी) भी पिछले कई वर्षों से सिखाई जा रही है। प्राथमिक कक्षाओं में हिंदी भाषा की अनिवार्यता लागू हो जाने के बाद भारत की नई पीढ़ी स्वदेशी भाषा में चिंतन करना सीखेगी, परस्पर संवाद बढ़ेगा और राजभाषा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ होगी ही इसमें कदापि दो राय नहीं हो सकती। अतः शीघ्र ही सारे देश की प्राथमिक कक्षाओं में हिंदी भाषा का शिक्षण अनिवार्य किया जाना समय की मांग है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी पढ़ाने के लिए हमारे पास योग्य शिक्षक सहित मूलभूत संसाधनों की कोई कमी नहीं है, केवल राजनीतिक नेतृत्व की इच्छाशक्ति का अभाव है। प्राथमिक विद्यालयों में हिंदी भाषा का शिक्षण अनिवार्य हो जाने पर माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए हिंदी में कामकाज करना आसान हो जाएगा और वे स्वतः हिंदी के प्रयोक्ता बन जाएंगे।

सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्राथमिक कक्षाओं में हिंदी शिक्षण की अनिवार्यता लागू करते समय हमें स्थानीय भाषाओं को भी प्रोत्साहित करना जरूरी है, अर्थात् तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में तेलुगु, महाराष्ट्र में मराठी तथा

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

कर्नाटक में कन्नड़ भाषा को भी प्राथमिक कक्षाओं में अनिवार्य रूप से हिंदी भाषा के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई का बोझ प्राथमिक कक्षाओं के छात्र–छात्राओं पर डालना उचित नहीं है। इसे बालक के सुकोमल मस्तिष्क के स्वस्थ विकास पर बुरा असर पड़ता है। अक्सर यह देखा गया है कि जिन बच्चों की पढ़ाई प्री नर्सरी से ही अंग्रेजी भाषा के माध्यम से करवाई गई, वे अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा का समुचित ज्ञान प्राप्त न कर पाने के कारण उच्च कक्षाओं तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़ गए, जबकि भारतीय भाषाओं व हिंदी भाषा में प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करनेवाले छात्र–छात्रा कालांतर में उच्च शिक्षा अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं के माध्यम से भी प्राप्त कर प्रतिस्पर्धा में आगे निकल गए। ऐसा इस कारण होता है, क्योंकि बालक का मस्तिष्क अपनी मातृभाषा तथा राष्ट्रभाषा का यदि समय पर ज्ञान अर्जित न करके अपनी ऊर्जा विदेशी भाषा को रटने में नष्ट करें, तो उसका स्वाभाविक विकास संभव नहीं हो पाता।

प्राथमिक कक्षाओं में हिंदी भाषा के पठन–पाठन की अनिवार्यता देश के सभी सरकारी संस्थागत तथा निजी विद्यालयों में एक साथ एक ही सत्र में कानूनन अनिवार्य करते हुए सारे देश में इसके लिए समान पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था की जानी चाहिए धार्मिक संस्थानों के विद्यालयों को भी इसमें किसी भी तरह की छूट नहीं होनी चाहिए। यदि पूरे देश में एक साथ एक समय में ऐसा किया जा सका तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत की भावी पीढ़ी वर्तमान पीढ़ी से अधिक भारतीय होगी तथा भारत को प्रगति के शिखर सोपान तक ले जाएगी। भले ही प्राथमिक कक्षा का छात्र मदरसे में पढ़ रहा हो किसी संस्कृत गुरुकुल में अध्यनरत हो या विदेशी मिशनरीज द्वारा संचालित कानवेंट स्कूल का विद्यार्थी हो अथवा किसी साधनहीन जनजाति व आदिवासी बहुल क्षेत्र की किसी सरकारी पाठशाला का विद्यार्थी हो, मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में उसे प्राथमिक शिक्षा मिलनी ही चाहिए या हर भारतीय बच्चे का मौलिक अधिकार घोषित कर दिया जाना चाहिए। ऐसा करने में जो भी संवैधानिक, प्रशासनिक या राजनीतिक बाधाएं आ रही हों, उन्हें तत्काल दृढ़ इच्छाशक्ति के द्वारा दूर किया जाना चाहिए। ऐसा होने पर मात्र कुछ वर्षों में ही भारत की शिक्षा–व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन परिलक्षित होने लगेगा तथा हमारे देश में अधिक वैज्ञानिक, अभियंता, चिकित्सक, वकील आदि हिंदी तथा भारतीय भाषाओं के माध्यम से तैयार होकर राष्ट्र के लिए कार्य करना पसंद करेंगे तथा वर्तमान में अंग्रेजी माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त कर भारतीयों की प्रतिभा का जिस तेजी से विदेशों में पलायन हो रहा है उस पर अंकुश लग जाएगा इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है।

यही नहीं प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सभी बालक जब हिंदी 5 से 10 वर्ष की आयु में ही पढ़ना लिखना और बोलना सीखेंगे तो राजभाषा का सम्मान सारे देश में स्वतः बढ़ने लगेगा तथा अहिंदीभाषी कुछ प्रांतों में राजनीतिक कारणों से हिंदी का जो विरोध किया जाता रहा है उसमें कमी आएगी। नागालैंड या तमिलनाडु का बालक, जब किसी दूसरे प्रदेश में जाएगा तो हिंदी ज्ञान के कारण उन्हें किसी भी अन्य भाषा–भाषी से संवाद स्थापित करने में तनिक भी परेशानी महसूस नहीं होगी। वह अपनी बात औरों से सुगमतापूर्वक कर सकेगा। उनकी बात सरलता से समझ सकेगा और क्षेत्रीय संकीर्णता से ऊपर उठकर इस पूरे देश को ही अपना मानेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर भारतीय भाषाओं एवं हिंदी का महत्व बढ़ेगा और हिंदी तथा भारतीय भाषाओं के माध्यम से पढ़ने वाले छात्र–छात्राएँ भेदभाव का शिकार होकर नहीं पिछड़ेंगे, बल्कि देश के विकास में उनका सर्वाधिक योगदान होने लगेगा। हमारी केंद्रीय सरकार तथा इसके सभी विभागों के द्वारा राजभाषा को बढ़ावा देने के नाम पर करोड़ों रुपए प्रति वर्ष खर्च किए जाते हैं, परंतु सरकारी कामकाज में अंग्रेजी भाषा का दबाव बढ़ता ही चला जा रहा है, परंतु यदि देशभर में प्राथमिक कक्षओं से ही हिंदी भाषा का पठन–पाठन अनिवार्य कर दिया जाए तो आने वाले एक दो दशकों में ही न केवल देश के विकास की गति दोगुनी हो जाएगी बल्कि वास्तविक अर्थों में हिंदी हमारी प्रगति की गति बनकर देश की भाषा और राजनीतिक अस्मिता की ध्वजावाहक बनेगी और हमें भी हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह या हिंदी पखवाड़ा मनाने के सरकारी आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं महसूस होगी। 5 से 10 वर्ष के आयु वर्ग के बालक बालिका जब राजभाषा हिंदी अनिवार्य रूप से सीखना आरंभ कर देंगे तो राष्ट्रीय एकता को जो बल मिलेगा, वह सैकड़ों नेताओं के भाषणों से भी नहीं मिल सकता।

धार्मिक भेदभाव, कट्टरता और सांप्रदायिकता को क्षीण करने के लिए प्राथमिक स्तर पर हिंदी का सारे देश में अध्ययन–अध्यापन करवाया जाना बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण कदम होगा। इस प्रकार जो चालक–बालिकाएं बचपन से ही राजभाषा में पढ़ना लिखना और परस्पर संवाद करना सीख जाएंगे उनसे क्षेत्रीयता की संकीर्ण मानसिकता विकसित हो नहीं होगी और वह पूरे देश को अपना घर समझेंगे। यही नहीं, राष्ट्रीयता के भाव में पगे ये बच्चे जब बड़े होंगे तो हमारे राष्ट्र की भलाई को ही सर्वोपरी मानेंगे। जिन राष्ट्रों ने भी अपनी ही भाषा की लंबे समय तक अवहेलना और उपेक्षा की है, उन्हें विघटन के दौर से गुजरना पड़ा है, जबकि राष्ट्रभाषा जहाँ भी बालकों को घुट्टी में घोलकर पिलाई गई है, वहाँ प्रगति के नित नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। हिंदी भाषा सीखने में सहज–सरल और वैज्ञानिक दृष्टि से एकदम खरी होने के कारण इसका पठन–पाठन न केवल सुगम है, अपितु विदेशी लोग भी इसे थोड़े ही अभ्यास से सीख जाते हैं तो भारतीय लोगों के लिए जिनकी मातृभाषाएँ भी संस्कृत से ही हिंदी की भांति जन्मी है, हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करना कोई दुष्कर कार्य नहीं है।

एक शोध के अनुसार विश्व में हिंदी बोलनेवालों की संख्या तेज गति से बढ़ती जा रही है। विदेशों में हिंदी भाषा का प्रचलन, पठन–पाठन व प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में, भारत में अभी भी हिंदी भाषा का अध्ययन–अध्यापन प्राथमिक कक्षाओं के स्तर पर अनिवार्य न होना, न केवल दुखद अपितु शर्मनाक भी कहा जा सकता है। देश के अधिकतर लोगों द्वारा व्यवहार में लाए जानेवाली भाषा के प्रति सरकारी अवहेलना केवल अंग्रेजीदां उच्च वर्गीय लोगों का षडयंत्र ही है जो बड़े–बड़े संवैधानिक पदों पर केवल अपना और अपने परिवार के बच्चों का वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं तथा जनहित की कदर नहीं करते। हिंदी भाषा को अपने राष्ट्र की मुखर

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

वाणी के रूप में विकसित करवाने की जिम्मेदारी हर भारतीय की है और हमें इसे ईमानदारी पूर्वक निभाना चाहिए। हम जिस क्षेत्र से जुड़े हों, कामकाज में हिंदी भाषा को अपनाकर हम राष्ट्र की तरक्की में अपना सार्थक योगदान कर सकते हैं। रूस, जापान, जर्मनी, फ्रांस और चीन जैसे देशों का उदाहरण हमारे सम्मुख है, जिन्होंने देश की प्रगति का आधार देश की राष्ट्रभाषा को ही चुना तथा विदेशी भाषा की मानसिक गुलामी कभी भी स्वीकार नहीं की तुर्की जैसे छोटे से देश ने भी अपनी राष्ट्रभाषा को प्रगति का आधार बनाने के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के सहारे रातों रात तुर्की भाषा को पढ़ना लिखना बोलना सीखना अनिवार्य कर दिया था। भारत में भी हिंदी भाषा और राष्ट्र के उन्नयन के लिए ऐसा ही कठोर कदम उठाने की सख्त जरूरत है। इस बात की प्रतीक्षा करना व्यर्थ है कि जब तक भारत की समस्त प्रादेशिक सरकारें हिंदी के लिए एकमत होकर सामने नहीं आतीं, तब तक हिंदी को सरकारी कामकाज की अनिवार्यता नहीं बनाया जा सकता है। यह सर्वविदित है कि भाषाई राजनीति विद्वेष और विघटन वाली राजनीति होती है, जिसका दुष्परिणाम सारे राष्ट्र के नागरिकों को झेलना पड़ता है। भाषाई दृष्टि से एकता के सूत्र में आबद्ध राष्ट्र ही विदेशी भाषा के चंगुल से मुक्त हो सकता है और इसका सबसे सरल उपाय बचपन से ही राष्ट्रभाषा के शिक्षा को अनिवार्य करते हुए राष्ट्रीय चेतना से युक्त नागरिकों की खेप तैयार करना है। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का संकल्प अभी भी अपूर्ण है। उनका देखा स्वप्न आज भी फलीभूत नहीं हो पाया है। राजनीतिक दृष्टि से हम भले ही आजाद हुए हैं मानसिक रूप से अंग्रेजी भाषा के गुलाम बने हुए हैं ये बेड़ियाँ हमें ही काटनी होगी, ये बंधन हमें ही तोड़ने होंगे और जब देश के सारे बच्चे धाराप्रवाह हिंदी बोलेंगे तो जो राष्ट्रीय चेतना विकसित होगी, वह वास्तविक अर्थों में भारत की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगी। इसलिए सरकार को इस दिशा में यथाशीघ्र ठोस कदम उठाने चाहिए।

*****